संख्या-192/2025/2071 /26-3-2025- 1862089

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर 2025

विषय:- जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबलव अन्य में पारित आदेश सं0-1994 (6)एस0सी0सी0 241 दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के परिप्रेक्ष्य में राज्याधीन सेवाओं हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-22 /16/ 92 -का-2/1996 -टी0सी0- ।।। दिनांक 05 जनवरी, 1996 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्कूटनी कमेटी का गठन किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ तथा निदेशालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 लखनऊ के अधीन सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

2- जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उनकी वैधानिकता की जांच करने एवं इस सम्बन्ध में पारदर्शी व्यवस्था बनाने एवं जाति प्रमाण पत्रों के दुरूपयोग को रोकने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 05.01.1996 के अनुक्रम में जाति प्रमाण पत्रों को बनाये जाने और उसके सत्यापन सम्बन्धी मामलों की बहुतायत संख्या को देखते हुये शासनादेश संख्या-428/26-3-2011, दिनांक 27जनवरी 2011 **(छायाप्रति संलग्न)**द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के मण्डल स्तर पर सत्यापन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में अपीलीय फोरम गठित किया गया है, जिसमें जनपद स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों से असंतुष्ट व्यक्ति अपील दायर कर सकते हैं।

3- इसी सन्दर्भ में दायर रिट याचिका संख्या-1396/2011 (पी0आई0एल0) थारू शक्ति समिति, महाराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2011 में दिये गये संवीक्षण के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या 685/26-3-2011, दिनांक 28 फरवरी 2011 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठन किया गया है।

4- रिट संख्या-सी0-6573/2025 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2025, रिट याचिका सं0-सी0-2632/2025 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 एवं अन्य कतिपय प्रकरणों में जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा पारित निर्णयों को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निरस्त करते हुये पारित आदेशों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम

...

एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल नामक वाद में पारित आदेश सं0-1994 (6)एस0 सी0 सी0 241 दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखितआदेश निर्गत किये गये हैं:-

> Once the law declared by the Supreme Court in **Kumari Madhuri Patil (supra)** holds the field and in the instant case we are satisfied that the matter was never referred to the Vigilance Cell, the order impugned cannot sustain.
>
> It is open for the authority concerned to follow the mandate of law laid down by the Supreme Court in **Kumari Madhuri Patil (supra)** and refer the matter to the Vigilance Cell afresh and then pass appropriate order based on the report submitted by the Vigilance Cell.

5- सतर्कता प्रकोष्ठ (Vigilance Cell) के गठन के संबंध में विभिन्न जिलों से प्राप्त संदर्भो के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा निस्तारित ऐसे प्रकरण, जिनको मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ निरस्त किया गया है कि इनमें सतर्कता जांच नहीं करायी गयी है, में जनपद स्तर से पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक तथा समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार को शामिल करते हुए जिलाधिकारी अपने स्तर से सतर्कता प्रकोष्ठ गठित करेंगे। ऐसे प्रकरणों में सतर्कता प्रकोष्ठ (Vigilance Cell) से जांच कराते हुए आख्या प्राप्त की जाएगी तथा जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति पुनर्विचार करते हुये नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 26-12-2025
18:32:04

भवदीय
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

<u>पृ0सं0-192/2025/2071(1)/26-3-2025-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।
4- रजिस्ट्रार जनरल, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
7- निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
8- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISH
Date: 26-12-2025
18:35:23

संख्या 22/16/92–का–2/1996–टी०सी०-III

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 5 जनवरी,1996

विषय–राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

कार्यालय अनुभाग–2

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०484/का–1/94–1/1/1995, दिनांक 29 मार्च, 1994 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके प्रस्तर–3 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा 9 के अधीन लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया था कि भविष्य में आरक्षण का दावा करने के लिये वांछित "जाति प्रमाण-पत्र" जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो, द्वारा जारी किया जायेगा परन्तु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट या संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। उक्त शासनादेश के साथ शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र भी संलग्न कर जारी किये गये थे, जिनमें से "उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र" शासनादेश संख्या 22/16/92–का–2–95–टी०सी०, दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के साथ संलग्न प्रपत्र द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

2–उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "1984(6)एस सी सी 241, कुमारी मोधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल" नामक वाद में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1994 को पारित निर्णय तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या 2884(एम०बी०) ऑफ 1995–"डा० आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के अनुपालन में, उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन द्वारा नीति निर्धारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

आवेदन-पत्र का प्रस्तुतीकरण व जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

(1) आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र उस क्षेत्र, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह वयस्क हो, अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, यदि वह अवयस्क हो, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, या जनजातीय-समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण उत्तर प्रदेश तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जाय।

(2) उपरोक्तानुसार जिस अधिकारी को जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, संतुष्ट होने पर, उस अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र सदस्य का सत्यापन

(3) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये गये जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा शासन द्वारा गठित की गयी निम्नलिखित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किये जाने वाले "जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन" के अधीन अनुमन्य होगा, जिसके लिए उक्त स्क्रूटनी कमेटी को यथास्थिति स्वयं अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा, शैक्षिक आदि संस्थाओं में प्रवेश अथवा किसी पद/सेवा में नियुक्ति के यथासम्भव 6 मास पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा:—

(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। — अध्यक्ष

(2) निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संबंध में) — सदस्य

या

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र०

(नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में)

(3) अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित अधिकारी, जिन्हें संबंधित विषय का अत्यधिक ज्ञान हो, — अतिरिक्त सदस्य

अथवा

अनुसूचित जनजाति के संबंध में, जनजाति, जनजातीय-समुदाय, जनजातीय समुदाय के वर्ग/भाग के चिन्हीकरण से संबंधित शोध कार्य में लगे, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित, एक अधिकारी

टिप्पणी:—जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही यदि अभ्यर्थी को आरक्षण कोटे में, शैक्षिक आदि संस्था में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त (प्रावीजनली) प्रवेश/नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जो जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

(4) उ०प्र० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उ०प्र० पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन एक-एक सतर्कता-कोष्ठक कार्य करेगा तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी जो "सतर्कता अधिकारी" पदनामित किये जायेंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे, जिनकी सेवाएँ पदों सहित शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी।

(5) जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु स्क्रूटनी कमेटी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वे यथाशीघ्र उसे संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगे, जो उसे अपने अधीन कार्यरत सतर्कता-कोष्ठक को सौंपेंगे। सतर्कता-कोष्ठक के संबंधित पुलिस निरीक्षक अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यतः निवास किये जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाण-पत्र की जांच करेंगे तथा उसकी जांच के पश्चात् सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन्म पंजीयन आदि का परीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक अथवा अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरान्त विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या संबंधित निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

(6) यदि संबंधित सतर्कता-कोष्ठक की जांच पड़ताल के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित हो जाता है, तो संबंधित निदेशक द्वारा "जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन" कर दिया

जायेगा, परन्तु जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापित न होने की दशा में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

(1) संबंधित निदेशक द्वारा सतर्कता अधिकारी की आख्या की प्रति भेजते हुए अभ्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस पावती पंजीकृत डाक द्वारा अथवा संबंधित संस्था, जहां वह अध्ययनरत हो या सेवारत हो, के अध्यक्ष (हेड) के माध्यम से दी जायेगी, जिसमें नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी से अभ्यावेदन या उत्तर, यदि वह देना चाहें, दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) ऐसा अभ्यावेदन या उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी के अनुरोध पर अधिक से अधिक नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन का समय दिया जा सकता है, से अधिक नहीं।

(3) समयान्तर्गत प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन या उत्तर में यदि अभ्यर्थी सुनवाई का अवसर प्रदान करने या इस विषय में अन्वेषण (इन्क्वायरी) कराने का अनुरोध करता है तो अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित निदेशक स्क्रूटनी-कमेटी और उसके अध्यक्ष को अवगत करायेंगे, जो अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता के पक्ष में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेंगे और संबंधित गाँव या आबादी में उद्घोषणा द्वारा या अन्य सुलभ रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना पर यदि उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता का कोई व्यक्ति या संगठन, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विरोध करता है तो उसे अपने विरोध के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर अभ्यर्थी भी अपने पक्ष को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) स्क्रूटनी-कमेटी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व विपक्षियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां आदि के प्रकाश में विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित करेगी, जिसमें कमेटी के निष्कर्षों के समर्थन में संक्षिप्त कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(5) उपरोक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र दिन प्रतिदिन के आधार पर इस प्रकार की जायेगी कि अनाधिक 2 मास की अवधि में पूरी हो जाय।

(6) कमेटी के निर्णयों से अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को निर्णय लेने के एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने का परिणाम

(7) यदि स्क्रूटनी-कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है तो:—

(क) कमेटी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे व उक्त जाति प्रमाण-पत्र को जब्त कर लिया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, संबंधित शैक्षिक आदि संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी से पंजीकृत डाक से अनुरोध किया जायेगा कि यथास्थिति संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश/नियुक्ति को बिना कोई नोटिस दिये तत्काल निरस्त कर दें और तदनुसार आगे अध्ययनरत या यथास्थिति उसे पद/सेवा पर बने रहने से वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) संबंधित अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

3—अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
कालिका प्रसाद,
सचिव।

संख्या 22/16/92(1)/का-2/1996टी०सी०-III, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

(2) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) निदेशक, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, उ०प्र०/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र०।

(6) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) सचिव, नगर विकास/आवास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) निबन्धक, उ०प्र० सहकारी समितियां, लखनऊ।

(10) निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ।

(11) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(12) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।

(13) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०।

(14) निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(15) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(16) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(17) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(18) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(19) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(20) समस्त अध्यक्ष जिला परिषद/नगर महापालिका/नगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(21) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ०प्र०।

(22) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(23) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा० जी०पी० वार्ष्णेय,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 38 सा० नियुक्ति-23-3-2010-(2633)-1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

संख्या– 429 / 26–3

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी, 2011

विषयः–जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जांच हेतु मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम गठित किया जाना।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध शासनादेश संख्या–22/16/92–का–2/1996–टी0सी0–III दिनांक5 जनव 1996 द्वारा दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभ उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है, जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तु जाति संबंधी विवादों में पारित आदेशों के आधार पर निर्देशित मामलों सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करती है।

2– जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता के संबंध में मा0 उच्च न्यायाल खण्डपीठ लखनऊ में दायर रिट पिटीशन संख्या–1611(एम0बी0)/200 तारामुनि थारू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनां 23–9–2010 में मा0 न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के संबंध न्यायालय के समक्ष बहुतायत संख्या में वाद दाखिल किये जाते है। इसी मामले में मा0 न्यायालय द्वारा यह संवीक्षण किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन व्यक्ति/नागरिक को अपने प्रकरणों को गम्भीरतापूर्वक रखे जाने हेतु चूंकि कोई उचित फोरम नहीं है, अतः राज्य सरकार द्वारा इस हेतु एक अपीलीय फोरम की व्यवस्था निर्धारित किये जाने के लिए उचित व्यवस्था करें ताकि स्थानीय स्तर पर ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर उत्पन्न विवाद का निराकरण हो सके।

S MOURYA/G.0

4— अतः मा0 न्यायालय के उक्त संवीक्षण के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार मण्डलीय अपीलीय फोरम गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:—

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	संबंधित जिलाधिकारी या उनका प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी के स्तर से कम न हो	सदस्य
3	मण्डलायुक्त द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का मण्डलीय स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
4	उपनिदेशक, समाज कल्याण(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में) अथवा उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण(अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में)	सदस्य सचिव

5— इस अपीलीय समिति के समक्ष जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र के निस्तारण संबंधी निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त निर्णय के अधिकतम 90 दिनों के भीतर अपील कर सकेगा तथा उक्त अपीलीय समिति द्वारा उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा आवश्यकतानुसार जॉच कराकर विलम्बतम 30 दिनों में संबंधित प्रकरण का निर्णय करते हुए निस्तारित करेगी। उक्त फोरम के गठन के फलस्वरूप राज्य स्तर पर गठित स्क्रूटनी कमेटी अपने दायित्वों का यथावत् निवर्हन करती रहेगी। उक्त समिति के निर्णय के विरूद्ध राज्य स्तर पर गठित स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या— 428 (1)/26—3—2010 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।

S MOURYA.0

5. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, अनु0जाति/अनु0जनजातिशोधएवंप्रशिक्षणसंस्थान,उ0प्र0, लखनऊ।
9. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
12. सचिव,विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
14. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के निबंधक।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(ब्रलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

S MOURYA/G.0

संख्या– 685 / 26–3–2011

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी,2011

विषयः– जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठित किया जाना।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल नामक वाद में पारित आदेश संख्या–1994 (6) एस0सी0सी0 241 दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–22 / 16 / 92–का–2 / 1996– टी0सी0–III दिनांक 5 जनवरी, 1996 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्कूटनी कमेटी का गठन किया गया है, जो जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जाति संबंधी विवादों में पारित आदेशों के आधार पर निर्देशित मामलों की सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करती है।

2– जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उनकी वैधानिकता की जांच करने तथा इस संबंध में पारदर्शी व्यवस्था बनाने एवं जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी बनाये जाने एवं उसके दुरूपयोग को रोकने हेतु मा0 उच्चतम न्यायलय के उपरोक्त, निर्णय के अनुपालन में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 1996 के अनुक्रम में जाति प्रमाण पत्रों के बनाये जाने और उसके सत्यापन संबंधी मामलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए शासनादेश संख्या–428 / 26–3–2011, दिनांक 27–1–2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के मण्डल स्तर पर सत्यापन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में अपीलीय फोरम गठित किया गया

श्री संतोष जी0ओ0

है, जिसमें जनपद स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों से क्षुब्ध व्यक्ति अपील दायर कर सकते हैं।

3— इसी संदर्भ में दायर रिट याचिका संख्या—1396/2011(पी0आई0एल0) थारू शक्ति समिति महराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12—1—2011 में दिये गये संवीक्षण के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी	सदस्य
3	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	जिला समाज कल्याण अधिकारी (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति हेतु) एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के समक्ष यथास्थिति अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं, उसके माता—पिता या अभिभावक द्वारा किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवा में नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा सत्यापन की पुष्टि विलम्बतम 15 दिन में कर दी जायेगी।

4— इसके अतिरिक्त उक्त समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न प्रकार के मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा :—

1. किसी नियुक्ति के पश्चात सेवायोजक द्वारा सेवक के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन/पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये मामले।
2. किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों के संबंध में जाति प्रमाण पत्रों के न बनाये जाने संबंधी शिकायतों के मामले।
3. जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी होने अथवा त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी मामले।
4. जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में किसी अन्य विसंगति के मामले।

5– समिति उपरोक्त प्रस्तर 4 में उल्लिखित ऐसे सभी मामलों का निस्तारण विलम्बतम 30 दिनों के भीतर कर देगी और समिति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त निर्णय के अधिकतम 90 दिनों के भीतर शासनादेश संख्या–428/26–3–2011, दिनांक 27–1–2011 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील कर सकेगा । उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी। जनपद स्तरीय उक्त समिति के गठन के फलस्वरूप मण्डलीय अपील समिति तथा राज्य स्तर पर गठित स्कूटनी कमेटी अपने दायित्वों का यथावत निवर्हन करती रहेगी।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/26–3–2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
5. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभ उ0प्र0,लखनऊ।
6. निदेशक,अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0 लखनऊ।
7. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. राज्य के समस्त उपकमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यव अधिकारी, उ0प्र0।
10. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के निबंधक।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. बेवमास्टर, समाज कल्याण/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी
अनु सचिव

श्री सतीश जी0ओ0